रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937
No. 43] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29 , 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016

सा.का.नि. 84(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 356म द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 है।

   (2) ये राजपत्र इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

   (क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है;

   (ख) "कन्वेंशन" से वही अर्थ अभिप्रेत होगा, जो उसका अधिनियम की धारा 356थ के खण्ड़ (घ) में है;

   (ग) "मान्यता प्राप्त संगठन" से महानिदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त कोई संगठन अभिप्रेत है;

   (घ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नही किये गए हैं, परन्तु जिनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है, के वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

3. **कलुषित प्रणालियों पर नियंत्रण.**—(1) प्रत्येक भारतीय पोत और अन्य पोत जो भारतीय ध्वज फहराने के हकदार नहीं हैं, परन्तु भारत के प्राधिकार के अधीन प्रचालित हैं, उपनियम (2) में उपवर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे, जिनके अंतर्गत समय-समय पर यथाविहित लागू मानक और अपेक्षाओं के साथ-साथ समय-समय पर महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने वाले ये सुनिशिचत करने के लिए कि ऐसे पोत अपेक्षाओं के अनुपालन करते हैं के लिए प्रभावी उपाय हैं।

   (2) इस नियम के उपनियम (1) में निर्दिष्ट लागू नियत्रंण उपाय ऐसे होंगे, जो कन्वेंशन के उपाबंध 1 में यथाउपबंधित हैं, जो निम्मिलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट हैं:-

सारणी

कलुषित प्रणाली	**नियत्रंण उपाय**	**लागू होना**
कलुषित प्रणाली में बायोसाइड्स के रूप में क्रियाशील आर्गेनोटिन सम्मिश्रण	पोत ऐसे सम्मिश्रणों का अनुप्रयोग या पुन: अनुप्रयोग नही करेंगे	तारीख 1 जनवरी 2003 को या उसके पश्चात विनिर्मित सभी पोत)
कलुषित प्रणाली में बायोसाइड्स के रूप में क्रियाशील आर्गेनोटिन सम्मिश्रण	पोत पर या तो:- (1) अपने हलों या बाहरी भागों या सतहों पर ऐसे सम्मिश्रण नहीं होंगे; या (2) कोई परत होगी, जो ऐसे सम्मिश्रणों, जो अध:स्थ अपालक कलुषित प्रणालियों से निक्षालित होते हैं, के लिए बाधा बनते हैं।	सभी पोत (स्थिर और प्लावी प्लेटफार्म, प्लावी भंड़ारण एककों और प्लावी उत्पादन भंड़ारण और आफलोडिंग एककों, जिनका विनिर्माण 1 जनवरी 2003 से पूर्व किया गया है और जिनको 1 जनवरी 2003 को या उसके पश्चात सूखीगोदी में नहीं रखा गया हो।)

4. **सर्वेक्षण और प्रमाणन की प्रक्रिया**.—(1) 400 सकल टन और अधिक के पोत, जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हैं या भारत के तट के साथ-साथ चलते हैं, यथा निम्न विनिर्दिष्ट सर्वेक्षणों के अध्यधीन होंगे:

(क) कोई प्रारंभिक सर्वेक्षण, यथास्थिति, पोत को सेवा में लगाने से पूर्व या अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र से पूर्व, भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र पहली बार जारी किया जाता है; और

(ख) कोई सर्वेक्षण, जब कलुषित प्रणालियां परिवर्तित या प्रतिस्थापित की गई हों, और ऐसा परिवर्तन या प्रतिस्थापन, यथास्थिति, अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रमाण पत्र या भारतीय कलुषित प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सर्वेक्षण ऐसे होंगे जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि पोत की कलुषित प्रणाली अधिनियम और इन नियमों के अनुसार है और संबधित उपबंधों का पूर्णतया अनुपालन करती है।

(3) (क) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट पोतों के सर्वेक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा या मान्यता प्राप्त संगठनों द्वारा किये जाएंगे।

(ख) महानिदेशक सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठनों को निम्नलिखित से संबधित प्राधिकृत करेगा-

(i) सत्यापित करना, यदि पोत नियम 3 के उपबंधों का अनुपालन करते हैं; और

(ii) सर्वेक्षण करना, यदि किसी पत्तन राज्य, जो कन्वेंशन का एक पक्षकार है, के समुचित प्राधिकारियों द्वारा अनुरोध किया गया हो।

(ग) जब महानिदेशक या कोई मान्यता प्राप्त संगठन यह अवधारित करता है कि पोत की कलुषित प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय या भारतीय कलुषित प्रमाण पत्र या अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप न हो तो सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन तुरन्त यह सुनिश्चित करेगा कि पोत को अनुपालन में लाने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही की गई है और सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन महानिदेशक को किसी ऐसे अवधारण की बावत अधिसूचित करेगा।

(घ) यदि खंड़ (ग) में निर्दिष्ट सुधारात्मक कार्रवाई का अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा तुरन्त लिखित में महानिदेशक को सूचित किया जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा या यदि पहले ही जारी किया गया है तो संबधित प्रमाण पत्र आदेश द्वारा महानिदेशक द्वारा वापस लिया जाएगा।

(ड.) उपनियम (3) के खंड़ (ग) विनिर्दिष्ट स्थिति में, यदि पोत अन्य पक्षकार के पत्तन में है तो पत्तन राज्य के समुचित प्राधिकारियों और महानिदेशक को सर्वेक्षक या मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा लिखित में तत्काल सूचित किया जाएगा।

5. अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र का जारी किया जाना या पृष्ठांकन.-

(1) महानिदेशक या मान्यता प्राप्त संगठन नियम 4 के अनुसार किसी सर्वेक्षण के सफलतापूर्वक पूरे होने के पश्चात् निम्नलिखित जारी करने या पृष्ठांकित करने की अपेक्षा करेगा:

(i) भारतीय ध्वज को फहराने के लिए हकदार या उसके प्राधिकार के अधीन प्रचालित किसी भारतीय पोत या अन्य पोतों, जो 400 सकल टनभार या अधिक के हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में लगे हुये हैं को अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र; और

(ii) भारतीय ध्वज को फहराने के लिए हकदार भारतीय पोत जो 400 सकल टनभार और अधिक के हैं, प्रत्येक प्रकार के पोत के लिए यथा लागू समुचित शर्तों सहित और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र यात्रा में नहीं लगे हुए तथा, यथास्थिति, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी पोत को भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र।

(2) प्रमाण पत्र और अभिलेख, इन नियमों से संलग्न, यथास्थिति, अनुसूची 1 और अनुसूची 2 में दिए गए मॉडल के तत्समान प्ररूप में तैयार किए जाएंगे।

6. महानिदेशक या अन्य देश, जो कन्वेंशन का पक्षकार है द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र का जारी किया जाना या पृष्ठांकन.—

(1) पोत परिवहन के महानिदेशक के अनुरोध पर, किसी देश की सरकार, जिसको कन्वेंशन लागू होता है या विपर्ययेन, किसी पोत का सर्वेक्षण करवा सकेगा और, यदि उसका समाधान हो जाता है तो पोत को अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र जारी करेगा या जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगा, जहां समुचित हो, वहां पोत के लिए कन्वेंशन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र पृष्ठांकित करेगा या पृष्ठांकन प्राधिकृत करेगा।

(2) इस नियम के उपनियम (1) का अनुपालन करने पर, प्रमाण पत्र की एक प्रति और सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति यथाशीघ्र, यथास्थिति, महानिदेशक या किसी अन्य देश की सरकार, जो कन्वेंशन की पक्षकार है को पारेषित की जाएगी।

(3) इस प्रकार जारी प्रमाण पत्र में ये कथन अन्तर्विष्ट होगा कि इसे, यथास्थिति महानिदेशक या अन्य देश की सरकार, जो कन्वेंशन की पक्षकार है, के अनुरोध पर जारी किया गया है।

7. अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र की विधि मान्यता.—

(1) नियम 5 के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र या भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र, या नियम 6 के अधीन जारी अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र निम्नलिखित दशाओं में विधिमान्य नहीं रहेगा, अर्थात:-

(क) यदि कलुषित प्रणाली परिवर्तित या प्रतिस्थापित की गई है और प्रमाण पत्र इन नियमों उपबंधों के अनुसार पृष्ठांकित नहीं है; और

(ख) पोत के अन्य राज्य के ध्वज को अंतरण पर।

(2) अन्य ध्वज से अंतरित किसी पोत को नया प्रमाण पत्र जारी किया जाना पूर्ववर्ती ध्वज द्वारा जारी विधिमान्य प्रमाण पत्र पर अधारित होगा।

8. कलुषित प्रणाली पर घोषणा.—(1) अंतर्राष्ट्रीय समुदी यात्राओं में लगे हुए किसी पोत से, जो लंबाई में 24 मीटर या अधिक है, परन्तु 400 सकल टनभार से कम है (स्थिर या प्लावी प्लेटफार्म, प्लावी भंडारण एककों और प्लावी उत्पादन भंडारण और आफलोडिंग एककों को छोड़कर), स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा साथ रखने की अपेक्षा की जाएगी और ऐसी घोषणा के साथ समुचित दस्तावेज (जैसे कोई पेन्ट रसीद या संविदाकार बीजक) संलग्न किये जाएंगे या समुचित पृष्ठांकन अंतर्विष्ट होगा।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट घोषणा अनुसूची 3 में दिये गए मॉडल के तत्समान प्ररूप में तैयार की जाएगी।

9. अपशिष्ट कलुषित सामग्री के नियत्रंण की प्रक्रिया.—कलुषित प्रणाली से उपयोजन या हटाने से अपशिष्ट को, अधिसूचना संख्या का.आ. संख्या 2265, तारीख 24 सितम्बर 2008 द्वारा यथा अधिसूचित केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण और वन मंत्रालय में परिसंकट में अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 2008 के

अनुसार सुरक्षित और पर्यावरणीय सुदृढ रीति में संग्रहीत, हथालित, उपचारित और निपटाया जाता है।

10. **फीस**.—इन नियमों के अधीन सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन के लिए फीस जो उदग्रहीत की जा सकेगी, अनुसची 4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

11. **शास्ति**.—जो कोई इन नियमों के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, अधिनियम की धारा 458 की उपधारा (2) के अधीन उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा।

अनुसूची 1

[नियम (5) का उप-नियम (2) देखें]

अंतर्राष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाण पत्र

(इस प्रमाण पत्र का अनुपूरक कलुषित प्रणालियों का अभिलेख होगा)

(राज्य का नाम): .... सरकार के प्राधिकार के अधीन इन्टरनेशनल कन्वेंशन आन द कंट्रोल आफ हार्मफुल एंटी-फाउलिंग सिस्टम्स आन शिप्स के अधीन जारी

....

(प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन):
जब प्रमाण पत्र इससे पूर्व जारी किया गया हो, तो यह प्रमाण पत्र तारीख ----- के प्रमाण पत्र को प्रतिस्थापित करेगा।
पोत की विशिष्टियां [1]
पोत का नाम: ....
सुभिन्न संख्या या अक्षर...
रजिस्ट्री का पत्तन ....
सकल टनभार ....
आई एम ओ संख्या[2] ....
कन्वेंशन के उपाबंध 1 के अधीन नियंत्रित कोई कलुषित प्रणाली इस पोत के विनिर्माण के दौरान या उसके पश्चात अनुप्रयुक्त नहीं की गई है

कन्वेंशन के उपाबंध 1 के अधीन नियंत्रित कोई कलुषित प्रणाली इस पोत पर इससे पूर्व अनुप्रयुक्त की गई है, परन्तु तारीख ....को ....द्वारा (सुविधा का नाम अंत:स्थापित करें) हटाई गई है।
कन्वेंशन के उपाबंध 1 के अधीन नियंत्रित कोई कलुषित प्रणाली इस पोत पर इससे पूर्व अनुप्रयुक्त की गई है, परन्तु तारीख .... को .... द्वारा (सुविधा का नाम अंत:स्थापित करें) सीलर कोट के साथ कवर की गई है।
कन्वेंशन के उपाबंध 1 के अधीन नियंत्रित कोई कलुषित प्रणाली इस पोत पर .... तारीख[3] से पूर्व अनुप्रयुक्त की गई थी, परन्तु .... तारीख4 से पूर्व अवश्य हटाई जानी चाहिए या सीलर कोट के साथ कवर की जानी चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि : (1) पोत का सर्वेक्षण कन्वेंशन के उपाबंध 4 के विनियम 1 के अनुसार किया गया है; और

(1) सर्वेक्षण दर्शाता है कि पोत पर कलुषित प्रणाली कन्वेंशन के उपाबंध 1 की लागू अपेक्षाओं का अनुपालन करती है।

.... (प्रमाण पत्र के जारी करने का स्थान) में जारी किया गया

---

[1] अनुकल्पिक रूप से पोत की विशिष्टियां बाक्स में क्षैतिज्य रूप से हो सकेंगी।

[2] अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक संगठन के संकल्प क.600(15) द्वारा अंगीकृत पोत पहचान संख्यांक की स्कीम के अनुसरण में ।

[3] नियंत्रक उपायों को लागू करने में प्रवेश की तारीख।

[4] अभिसमय के अनुच्छेद 4(2) या उपाबंध (1) में विनिर्दिष्ट किसी अनुपालन करने की अवधि की समाप्ति की तारीख।

………………………………………………………………………………………………………
(जारी करने की तारीख) प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

सर्वेक्षण के पूर्ण होने की तारीख जिसको यह प्रमाणपत्र जारी किया गया………

कलुषित प्रणाली के अभिलेख

यह अभिलेख स्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र के साथ संलग्न होंगे ।
पोत का नाम……………………………………………………………………………………………
सुभिन्न संख्यांक या अक्षर……………………………………………………………………………
आईएमओ संख्यांक……………………………………………………………………………………
लागू कलुषित प्रणाली के ब्यौरे………………………………………………………………………
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार………………………………………………………
कुलषित प्रणाली (प्रणालियों) के आवेदन की तारीख…………………………………………………
कंपनी या कंपनियों के नाम और सुविधा (सुविधाएं) जहां लागू हों……………………………………
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के निर्माता (ताओं के नाम)……………………………………………
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के नाम और रंग…………………………………………………………
सक्रिय अवयव(यवों) और उनके रासायनिक संक्षिप्त सेवा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(कों) (रा.सं.से.संख्याक(को)
……
मुद्रांकक लेप का प्रकार(रों) ,यदि लागू हों……………………………………………………………
प्रयुक्त मुद्रांकक लेप का ना (मों) और रंग(रंगों) , यदि लागू हों……………………………………
मुद्रांकक लेप को प्रयुक्त करने की तारीख……………………………………………………………
प्रमाणित किया जाता है कि यह अभिलेख सभी संदर्भों में सही हैं ।
……………………………………………………………… जारी किया गया (अभिलेख के जारी करने का स्थान)
……
(जारी करने की तारीख) (अभिलेख जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

अभिलेखों का पृष्ठांकन[5]

यह प्रमाणित किया जाता है कि अभिसमय के उपाबंध 4 के विनियम 1(1) (ख) के अनुसरण में अपेक्षित सर्वेक्षण किया गया और यह पाया गया कि अभिसमय का अनुपालन किया गया था ।
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के ब्यौरे
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार………………………………………………………
……
कुलषित प्रणाली (प्रणालियों) के आवेदन की तारीख…………………………………………………
कंपनी या कपनियों के नाम और सुविधा (सुविधाएं) जहां लागू हों……………………………………
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के निर्माता(ताओं) के नाम……………………………………………
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के नाम और रंग…………………………………………………………
सक्रिय अवयव(यवों) और उनके रासायनिक संक्षिप्त सेवा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(कों) [रा.सं.से.संख्याक (कों)]
……
मुद्रांकक लेप का प्रकार(रों), यदि लागू हों……………………………………………………………
प्रयुक्त मुद्रांकक लेप का नाम(मों) और रंग (रंगों) यदि लागू हों……………………………………
मुद्रांकक लेप को प्रयुक्त करने की तारीख……………………………………………………………
हस्ताक्षर…………………………………………………………………………………………………
(अभिलेख जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)
स्थान……………………………………………………………………………………………………
तारीख[6]…………………………………………………………………………………………………
(प्राधिकारी के मुद्रा या स्टांप)

---

[5] अभिलेख का यह पृष्ठ प्रत्युत्पादन और प्रशासन द्वारा आवश्यक रूप से समझे गए अभिलेख में जोड़े गए हैं।
[6] सर्वेक्षण के पूर्ण होने की तारीख जिसको यह पृष्ठांकन किया गया।

अनुसूची 2

[नियम 5 के उप-नियम (2) देखें]

भारतीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र

(यह प्रमाणपत्र कलुषित प्रणाली के अभिलेख द्वारा अनुपूरित होगा।)

भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन पोत को वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 के अधीन जारी

द्वारा ....

(प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन)

जब प्रमाणपत्र पूर्व में जारी किया गया था यह प्रमाणपत्र तारीख .... के प्रमाणपत्र को प्रतिस्थापित करेगा

पोत की विशिष्टियां[1]

पोत का नाम..

सुभिन्न संख्यांक या अक्षर............................... ....

रजिस्ट्रीकरण का पत्तन...

सकल टन भार...

आई.एम.ओ.
संख्यांक[2]...

इस पोत के संनिर्माण के दौरान या संनिर्माण के पश्चात् नियम 3 के अधीन नियंत्रित कलुषित प्रणाली प्रयुक्त नहीं की गई है

इस पोत पर पूर्वतः नियम 3 के अधीन नियंत्रित कलुषित प्रणाली प्रयुक्त की गई थी किंतु.................. (तारीख) को ....द्वारा (सुविधा का नाम रखें) द्वारा हटा दी गई ।

इस पोत पर पूर्वतः नियम 3 के अधीन नियंत्रित कलुषित प्रणाली प्रयुक्त की गई थी किंतु................. (तारीख)[3] को ....द्वारा (सुविधा का नाम रखें) द्वारा प्रयुक्त किसी मुद्रांकक लेप द्वारा आच्छादित हैं ।

इस पोत पर पूर्वतः नियम 3 के अधीन नियंत्रित कलुषित प्रणाली प्रयुक्त की गई थी किंतु.................. (तारीख)[4] के पूर्व पर किसी मुद्रांकक लेप द्वारा आवश्यक रूप से हटा दी गई या आच्छादित हैं

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

1. पोत का वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 के नियम 4 के अनुसरण में सर्वेक्षण किया गया ; और
2. सर्वेक्षण यह दर्शित करता है कि वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 की अपेक्षाओं को लागू करने के अनुपालन में पोत पर कलुषित प्रणाली हैं

....जारी किया गया
(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....
(जारी करने की तारीख)) प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

कलुषित प्रणाली का अभिलेख

यह अभिलेख स्थायी रूप से अंतरराष्ट्रीय कलुषित प्रणाली प्रमाणपत्र के साथ संलग्न होंगे ।

पोत का नाम...

सुभिन्न संख्यांक या अक्षर..

आईएएमओ संख्यांक................................
लागू कलुषित प्रणाली के ब्यौरे.............
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार.........
कुलषित प्रणाली (प्रणालियों) के आवेदन की तारीख...................
कंपनी या कंपनियों के नाम और सुविधा (सुविधाएं) जहां लागू हों....................................
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के निर्माता(ताओं) के नाम..................................
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के नाम और रंग...
सक्रिय अवयव(यवों) और उनके रासायनिक संक्षिप्त सेवा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(कों) [रा.सं.से.संख्याक (को)]
....
मुद्रांकक लेप का प्रकार(रों), यदि लागू हों.......................................
प्रयुक्त मुद्रांकक लेप का नाम (मों) और रंग(रंगों) , यदि लागू हों......................
मुद्रांकक लेप को प्रयुक्त करने की तारीख............................
प्रमाणित किया जाता है कि यह अभिलेख सभी संदर्भों में सही हैं ।
.... जारी किया गया (अभिलेख के जारी करने का स्थान)
....
(जारी करने की तारीख) (अभिलेख जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)

अभिलेखों का पृष्ठांकन

यह प्रमाणित किया जाता है कि वाणिज्य पोत परिवहन (कलुषित प्रणाली का नियंत्रण) नियम, 2016 के नियम 4 (1)(ख) के अनुसरण में अपेक्षित सर्वेक्षण में यह पाया गया कि पोत द्वारा अभिसमय का अनुपालन किया गया था ।
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के ब्यौरे
प्रयुक्त कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार..
....
कुलषित प्रणाली (प्रणालियों) के आवेदन की तारीख..........................
....
कंपनी या कंपनियों के नाम और सुविधा (सुविधाएं) जहां लागू हों..
....
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के निर्माता (ताओं) के नाम.................................
....
कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के नाम और रंग.........
सक्रिय अवयव(यवों) और उनके रासायनिक संक्षिप्त सेवा रजिस्ट्रीकरण संख्यांक(कों) [रा.सं.से.संख्याक (को)]
....
मुद्रांकक लेप का प्रकार (रों), यदि लागू हों.......................................
प्रयुक्त मुद्रांकक लेप का नाम (मों) और रंग (रंगों) , यदि लागू हों......................
मुद्रांकक लेप को प्रयुक्त करने की तारीख............................

हस्ताक्षर...............................
(अभिलेख जारी करने वाले प्राधिकृत पदधारी के हस्ताक्षर)
स्थान...
तारी.. [5]

(प्राधिकारी के मुद्रा या स्टांप)

[5] सर्वेक्षण के पूर्ण होने की तारीख जिसको यह पृष्ठांकित किया गया है ।

अनुसूची 3

[नियम 8 का उपनियम (2) देखें]

कलुषित प्रणाली की घोषणा का प्रतिमान या आदर्श प्ररूप जब वह अंतरराष्ट्रीय समुद्र यात्रा में हैं

कलुषित प्रणाली की घोषणा

पोत पर हानिकारक कलुषित प्रणाली के नियंत्रण का अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के अधीन तैयार किया गया

पोत का नाम.................................

सुभिन्न संख्यांक या अक्षर ....

रजिस्ट्रीकरण का पत्तन..

लंबाई..

सकल टन भार..

आई.एम.ओ. संख्यांक...

मैं यह घोषणा करता हूं कि इस पोत पर प्रयुक्त कलुषित प्रणाली का प्रयोग अभिसमय के उपाबंध 1 के अनुपालन में किया गया है ।

....

(तारीख) (स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रयुक्त की गई कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार (रों) के लागू कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के पृष्ठांकन और आवेदन की तारीख..

....

(तारीख) (स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रयुक्त की गई कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार(रों) और आवेदन की तारीख

....

....

(तारीख) (स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

प्रयुक्त की गई कलुषित प्रणाली (प्रणालियों) के प्रकार(रों) और आवेदन की तारीख

....

....

(तारीख) (स्वामी या स्वामी के प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुसूची 4

(नियम 10 देखें)

क्रम सं.	सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन का विवरण	उद्‌गृहीत की जाने वाली फीस (रु.)
(1)	(2)	(3)
1.	500 टन तक पोतों का सकल टन भार । पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	10,000
2.	501 से 20,000 टन तक पोतों का सकल टन भार । पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	30,000
3.	20001 से 30000 टन तक पोतों का सकल टन भार । पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	40,000

4.	30001 से 50000 टन तक पोतों का सकल टन भार। पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	50,000
5.	50001 से 100000 टन तक पोतों का सकल टन भार। पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	60,000
6.	100000 टन और उससे अधिक पोतों का सकल टन भार। पृष्ठांकन के लिए आरंभिक सर्वेक्षण और कोई पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण	70,000
7.	प्रमाणपत्र का जारी किया जाना।	3000
8.	पृष्ठांकन का जारी किया जाना।	2000

[फा.सं. 12011/1/2015 –एम.जी.]

आलोक श्रीवास्तव, अपर सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th January, 2016

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by section 356Y of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.– (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Control of Anti-fouling System) Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) “Convention” shall have the same meaning assigned to it in clause (d) of section 356 Q of the Act;

(c) “recognised organisation” means any organisation recognised by the Director General;

(d) words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

3. Controls on anti-fouling systems.—(1) Every Indian ship and other ships which are not entitled to fly the Indian flag but operating under the authority of India, shall comply with the requirements set forth in sub-rule (2) including the applicable standards and requirements as prescribed from time to time as well as effective measures to ensure that such ships comply with the requirements, as may be specified by the Director General from time to time.

(2) The applicable control measures referred to in sub rule (1) of this rule shall be as provided in Annex 1 of the Convention, which are specified in the Table below:

TABLE

Anti-fouling system	**Control measures**	**Application**
Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems	Ships shall not apply or re-apply such compounds	All ships constructed on or after the 1st January, 2003.
Organotin compounds which act as biocides in anti-fouling systems	Ships either,- (1) shall not bear such compounds on their hulls or external parts or surfaces; or (2) shall bear a coating that forms a barrier to such compounds leaching from the underlying non-compliant anti-fouling systems	All ships (except fixed and floating platforms, floating storage units, and floating production storage and offloading units that have been constructed prior to the 1st January, 2003 and that have not been in dry-docked on or after the 1st January, 2003).

4. Procedure for survey and certification.—(1) Ships of 400 gross tonnage and above engaged in international voyages or plying along the coast of India, shall be subject to surveys as specified below:

(a) an initial survey, before the ship has been put into service, or before the International Anti-Fouling System Certificate or, as the case may be, the Indian Anti-Fouling System Certificate is issued for the first time; and

(b) a survey, when the anti-fouling systems have been changed or replaced, and such change or replacement has been endorsed on the International Anti-Fouling System Certificate or, as the case may be, the Indian Anti-Fouling System Certificate.

(2) The surveys referred to in sub-rule (1) shall be such as to ensure that the ship's anti-fouling system is in accordance with and fully complies with the provisions of the Act and these rules.

(3) (a) The surveys of the ships referred to in sub-rule (1) shall be carried out by officers authorised by the Director General or by recognised organisations.

(b) The Director General shall authorise the surveyor or the recognised organisations to conduct surveys so as to -

(i) verify whether the ships comply with the provisions of rule 3; and

(ii) carry out surveys, if requested by the appropriate authorities of a port State that is a Party to the Convention.

(c) When the Director General or a recognised organisation determines that the ship's anti-fouling system does not confirm either to the particulars of the International Anti-Fouling System Certificate, or the Indian Anti-Fouling System Certificate, or to the provisions of the Act or these rules, the surveyor or the recognised organisation shall immediately ensure that corrective action is taken to bring the ship into compliance, and the surveyor or the recognised organisation shall notify the Director General of any such determination.

(d) If the corrective action referred to in class(c) is not complied with, the Director General shall be informed in writing by the surveyor or the recognised organisation forthwith and the International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate shall not be issued or if already issued, the respective certificate shall, by order, be withdrawn by the Director General.

(e) In a situation specified in clause(c) of sub rule (3), if the ship is in the port of another Party, the appropriate authorities of the port State and Director General shall be informed forthwith in writing by the surveyor or recognized organisation.

5. Issue or endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate.-

(1) The Director General or a recognised organisation shall require, after the successful completion of a survey in accordance with rule 4, to issue or endorse:

(i) International Anti-Fouling System Certificate to an Indian ship or other ships entitled to fly Indian flag or operating under its authority, which is of 400 gross tonnage and above and engaged in International voyage; and

(ii) Indian Anti-Fouling System Certificate to a ship Indian ships entitled to fly Indian flag which are of 400 gross tonnage and above, with appropriate conditions as applicable for each type of ships and not engaged in international voyage and are required to be registered under this Act, as the case may be.

(2) The Certificate and record shall be drawn up in the form corresponding to the model given in schedule 1 or as the case may be, schedule 2, appended to these rules.

6. Issue or Endorsement of an International Anti-Fouling System Certificate by Director General or another country which is party to Convention.-

(1) At the request of the Director General of Shipping, the Government of a country to which the Convention applies or vice versa, may cause a ship to be surveyed and, if satisfied, shall issue or authorise the issue of the International Anti-Fouling System Certificate to the ship and, where appropriate, endorse or authorise the endorsement of the International Anti-Fouling System Certificate for the ship in accordance with the Convention.

(2) Upon complying with sub-rule (1) of this rule, a copy of the Certificate and a copy of the survey report shall be transmitted as soon as possible to the Director General, or to the Government of another country which is party to the Convention, as the case may be.

(3) The certificate so issued shall contain a statement that it has been issued at the request, of the Director General, or of the Government of another country which is party to the Convention, as the case may be.

7. Validity of an International Anti-Fouling System Certificate or Indian Anti-Fouling System Certificate.-

(1) The International Anti-Fouling System Certificate or the Indian Anti-Fouling System Certificate issued under rule 5, or the International Anti-Fouling System Certificate issued under rule 6, shall cease to be valid in the following cases, namely:-

(a) if the anti-fouling system is changed or replaced and the certificate is not endorsed in accordance with the provisions of these rules; and

(b) upon transfer of the ship to the flag of another State.

(2) The issue of a new certificate to a ship transferred from another flag shall be based on a valid certificate issued by the previous flag.

8. Declaration on anti-fouling system.—(1)A ship of 24 meters or more in length, but less than 400 gross tonnage, engaged in international voyages(excluding fixed or floating platforms, floating storage units, and floating production storage and off-loading units), shall be required to carry a declaration signed by the owner or owner's authorised agent,

and such declaration shall be accompanied by appropriate documentation (such as a paint receipt or a contractor invoice) or contain appropriate endorsement.

(2) The declaration referred in sub rule (1) shall be drawn up in the form corresponding to the model given in Schedule 3.

9. Procedure for control of waste anti-fouling materials.—The waste from the application or removal of anti-fouling system are collected ,handled, treated and disposed of in a safe and environmentally sound manner in accordance with Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboudary Movement) Rules**,** 2008 as notified by the Central Government in the Ministry of Environment and Forests, vide notification number S.O. 2265 dated the 24th September, 2008.

10. Fees.-The fees which may be levied for survey, inspection and certification under these rules shall be as specified in the Schedule 4.

11. Penalty: Whoever contravenes any provisions of these rules shall be punished in accordance with the provisions contained under sub section (2) of section 458 of the Act.

SCHEDULE 1

[See sub-rule (2) of the rule 5]

INTERNATIONAL ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)

Issued under the International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships under the authority of the Government of

....

(name of the State) by ....

(Person or organisation authorised)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated.......................

Particulars of ship[1]

Name of ship..

Distinctive number or letters..

Port of registry..

Gross tonnage...

IMO Number[2] ....

An anti-fouling system controlled under Annex 1 to the convention has not been applied during or after construction of this ship

An anti-fouling system controlled under Annex 1 to the convention has been applied on this ship previously, but has been removed by...................(insert name of the facility) on.................................(date)

An anti-fouling system controlled under Annex 1 to the convention has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by ....(insert name of the facility) on..................(date)

An anti-fouling system controlled under Annex 1 to the convention was applied on this ship prior to...................... (date)[3], but must be removed or covered with a sealer coat prior to..................(date)[4]

THIS IS TO CERTIFY THAT: (1) the ship has been surveyed in accordance with regulation 1 of Annex 4 to the Convention; and

(2) the survey shows that the anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of Annex 1 to the Convention.

Issued at...

(Place of issue of Certificate)

....

(Date of issue) (Signature of authorised official issuing the Certificate)

Date of completion of the survey on which this certificate is issued:…………………………

---

[1] *Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes.*

[2] *In accordance with International Maritime Organisation ship Identification Number Scheme adopted by the Organisation by resolution A.600 (15).*

[3] *Date of entry into force of the control measure.*

[4] *Date of expiration of any implementation period specified in article 4(2) or Annex 1 to the Convention.*

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the International Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of ship

Name of ship :...

Distinctive number or letters :...

IMO number:...

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used..

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied...

....

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)..

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)...

....

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s))

....

....

Type(s) of sealer coat, if applicable...

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat ....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at.. *(Place of issue of Record)*

....

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Record)

Endorsement of the Records [5]

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with regulation 1(1)(b) of Annexe 4 to the convention found that the ship was in compliance with the Convention

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies) location(s) where applied..

....

Name(s) of anti-fouling system(s) manufacturer(s)...

....

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)..

....

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s)(CAS number(s)).......

....

Type(s) of sealer coat, if applicable...

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat...

Signed:...

(Signature of authorised official issuing the Record)

Place:..

Date:[6] ....

(Seal or stamp of the authority)

---

[5] *This page of record shall be reproduced and added to the Record as considered necessary by the Administration.*

[6] *Date of completion of the survey on which this endorsement is made.*

SCHEDULE 2

[See sub-rule (2) of the rule 5]

INDIAN ANTI-FOULING SYSTEM CERTIFICATE

(This certificate shall be supplemented by a Record of Anti-fouling Systems)

Issued under Merchant Shipping (Control of Anti Fouling System) Rules, 2016 on Ships under the authority of the Government of India

by

....

(Person or organisation authorised)

When a Certificate has been previously issued, this Certificate replaces the certificate dated......................

Particulars of ship[1]

Name of ship..

Distinctive number or letters...

Port of registry...

Gross tonnage..

IMO Number[2] ....

An anti-fouling system controlled under rule 3 has not been applied during or after construction of this ship

An anti-fouling system controlled under rule 3 has been applied on this ship previously, but has been removed by..................(insert name of the facility) on................................(date)

An anti-fouling system controlled under rule 3 has been applied on this ship previously, but has been covered with a sealer coat applied by ....(insert name of the facility) on.................(date)

An anti-fouling system controlled under rule 3 was applied on this ship prior to...................... (date)[3], but must be removed or covered with a sealer coat prior to.................(date)[4]

THIS IS TO CERTIFY THAT:

1. the ship has been surveyed in accordance with rule 4 of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2016; and
2. the survey shows that anti-fouling system on the ship complies with the applicable requirements of Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2016

Issued at...

(Place of issue of Certificate)

....

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Certificate)

RECORD OF ANTI-FOULING SYSTEMS

This Record shall be permanently attached to the Indian Anti-Fouling System Certificate.

Particulars of ship

Name of ship :...

Distinctive number or letters :...

IMO number :...

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...

....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies)/location(s) where applied..................................

Name(s) of anti-fouling system manufacturer(s)..

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)..

....

Active ingredient(s) and their Chemical Abstract Services Registry Number(s) (CAS number(s))

....

....

Type(s) of sealer coat, if applicable...

....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....

....

Date of application of sealer coat ....

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects.

Issued at.. *(Place of issue of Record)*

(Date of issue) (Signature of authorised official issuing the Record)

Endorsement of the Records[5]

THIS IS TO CERTIFY that a survey required in accordance with rule4 (1)(b) of the Merchant Shipping (Control of Anti-Fouling System) Rules, 2016 found that the ship was in compliance with the Convention.

Details of anti-fouling system(s) applied

Type(s) of anti-fouling system(s) used...
....

Date(s) of application of anti-fouling system(s)...

Name(s) of company(ies) and facility(ies) location(s) where applied...
....

Name(s) of anti-fouling system(s) manufacturer(s)..
....

Name(s) and colour(s) of anti-fouling system(s)...
....

Active ingredient(s)and their Chemical Abstract Services Registry Number(s)(CAS number(s)).......
....

Type(s) of sealer coat, if applicable...
....

Name(s) and colour(s) of sealer coat applied, if applicable ....
....

Date of application of sealer coat..

Signed:...

(Signature of authorised official issuing the Record)

Place:...

Date:[5] ....

(Seal or stamp of the authority)

SCHEDULE 3

[See sub-rule (2) of the rule 8]

MODEL FROM OF DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM WHILE ENGAGED IN INTERNATIONAL VOYAGE

DECLARATION ON ANTI-FOULING SYSTEM

Drawn up under the
International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems
on Ships

Name of ship..

Distinctive number or letters...

Port of registry...

Length...

Gross tonnage..

IMO number (if applicable)..

I declare that the anti-fouling system used on this ship complies with Annex 1 of the Convention.

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorised agent)

Endorsement of anti-fouling system(s) applied Type(s) of anti-fouling systems(s) used and date(s) of application..
....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorised agent)

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application...
....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorised agent)

Type(s) of anti-fouling system(s) used and date(s) of application..
....

....

(Date) (Signature of owner or owner's authorised agent)

[5] Date of completion of the survey on which this endorsement is made.

SCHEDULE 4
(See rule 10)

Serial Nos.	Description of survey, inspection and certification	Fee to be levied (Rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Gross Tonnage of Ships up to 500 tons	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	10,000
2.	Gross Tonnage of Ships 501 to 20,000 tons	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	30,000
3.	Gross Tonnage of Ships 20001 to tons 30000 tons	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	40,000
4.	Gross Tonnage of Ships 30001 to tons 50000 tons	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	50,000
5.	Gross Tonnage of Ships 50001 to tons 100000 tons	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	60.000
6.	Gross Tonnage of Ships 100000 tons and above	
	Initial Survey and any subsequent survey for endorsement	70,000
7.	Issuance of certificate	3,000
8.	Issuance of endorsement	2,000

[F. No. SR-12011/1/2015-MG]

ALOK SRIVASTAVA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.